डा. सी चंद्रमौली, भा.प्र.से.
सचिव
Dr. C Chandramouli, IAS
SECRETARY

सत्यमेव जयते

फा.सं.- ई-15013(12)/1/2017-हिन्दी 4-

भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
NORTH BLOCK NEW DELHI-110001

दिनांकः 14 सितम्बर, 2019

अपील

भाषा किसी भी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति उसकी भाषा की सहजता एवं सम्प्रेषणीयता पर निर्भर करती है। सरल, सहज और बोधगम्य राजभाषा शासन-प्रशासन को सहभागी बनाती है और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का संवहन करने के साथ-साथ देशवासियों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करती है। इस तथ्य के आलोक में भारतीय संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष **14 सितम्बर** को हम **'हिन्दी दिवस'** के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।

शासकीय कामकाज के निष्पादन में हिन्दी भाषा का प्रयोग हमारी पहचान को और सशक्त बनाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा भाषायी विविधताओं के बावजूद भी अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग का आह्वान किया गया था ताकि राष्ट्रीय एकता के नव-विचार को वास्तविक रूप प्रदान किया जा सके। वे इस उद्देश्य में काफी हद तक सफल भी हुए। अतः हिन्दी भाषा के प्रयोग में निहित देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि हम समस्त शासकीय कामकाज में हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें जिससे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रख सकें।

सूचना एवं संचार क्रांति के वर्तमान युग में विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकीय उपकरणों के निर्माण के परिणामस्वरूप हिंदी का प्रयोग न केवल सरकारी कामकाज में बढ़ रहा है बल्कि शिक्षा, व्यापार एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा के प्रयोग में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इन उपकरणों के माध्यम से सरकारी क्रिया-कलापों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाकर शासन-प्रशासन में भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इससे राजभाषा हिंदी के प्रयोग का सकारात्मक और उपयोगी माहौल बनेगा और हिन्दी भाषा को देश के विविध भाषायी क्षेत्रों में शासन-प्रशासन की भाषा के रूप में अंगीकार किया जा सकेगा जो देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने में महती भूमिका निभाएगी।

'हिन्दी दिवस' के अवसर पर मैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं इसके समस्त संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों तथा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं और सभी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आप सभी समस्त काम-काज राजभाषा हिन्दी में करें और राजभाषा का गौरव बढ़ाएं।

जय हिन्द !

चं. चन्द्रमौलि

(डॉ. सी. चंद्रमौली)

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी, प्रभाग, अनुभाग और एकक।
2. विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।

सूचना का अधिकार